भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 249

15 सितम्बर, 2020 के लिए प्रश्न

डोर डिलीवरी कार्यक्रम के लिए विशेष निधि

249. श्री श्रीधर कोटागिरी:

श्री कुरुवा गोरांतला माधव:

श्री तालारी रंगैय्या:

श्री एम. वी. वी. सत्यनारायण:

श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में डोर डिलीवरी कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने के लिए 1409 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान जारी करने के संबंध में निर्णय लेने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के इस पायलट कार्यक्रम की सफलता के आलोक में कोविड-19 वैश्विक महामारी को ध्यान में रखते हुए राशन कार्ड धारकों को आवश्यक खाद्य पदार्थों को घर-घर जाकर डिलीवरी देने के लिए इसे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): आंध्र प्रदेश में द्वार पर सुपुर्दगी कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए 1,409 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) से (घ): प्रश्न नहीं उठता।

****